

अध्याय III: बजटीय प्रबन्धन


प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजट तैयार करने की पारदर्शिता एवं इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि निधियों के अपव्यय या विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णय सफलता पूर्वक लागू किये जायें।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया का अर्थ है, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्त विभाग द्वारा सभी प्राप्तियों एवं व्यय जो वर्ष के दौरान प्राप्त या व्यय होना अनुमानित है, का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट के रूप में लोकप्रिय) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया में वित्त विभाग द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियाँ:

चार्ट 3.1: बजट प्रक्रिया



बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दी गई है:

चार्ट 3.2: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस: केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएस: केन्द्रीय योजनायें ।

जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रियानुसार विस्तृत अनुमान एवं अनुदान विधानसभा द्वारा अंतिम रूप से पारित होते हैं, वित्त विभाग सभी विभागों के प्रमुखों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके उपयोग के लिए उपलब्ध आवंटन लिखित रूप में सूचित करता है। अनुदानों को सूचित करने वाले पत्रों की प्रतियाँ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों तथा महालेखाकार को भेजी जाती है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियाँ महालेखाकार को भी भेजता है। इस प्रकार की सभी सूचनाएं एवं

बजट के आंकड़े वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंध तन्त्र (आईएफएमएस) पर अपलोड किये जाते हैं और उसकी एक्सेस संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध रहती है।

वित्त विभाग, वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के अनुरोधों की समीक्षा भी करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अंतर्गत निधियों को पुनः आवंटित करने के लिए भी किया जा सकता है। पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई की बचत का अनुदान या प्रभारित विनियोजन के एक ही खंड (राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत किसी अन्य इकाई के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए हस्तांतरण है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत नीचे दर्शायी गई है:

चार्ट 3.3: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य है। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सकती है और यह ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम।

बजट प्रक्रिया/दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित बाह्य लेखापरीक्षा के अधीन है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि (i) राजस्व प्राप्ति और व्यय के औचित्य के लिए हर संभव

प्रयास किये गये (ii) सरकार द्वारा सेवाएं ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रदान की गई है और (iii) पूरे बजट चक्र के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्यो का सारांश

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य का सारांश तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2,01,513.47	66,799.47	1,74,822.52	66,438.60	26,690.95	360.87

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बचतें मुख्यतया बजट प्रावधान के दत्तमत भाग से संबंधित हैं।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया जाता है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर प्रभारित वह व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की समेकित निधि पर भारित किया जा सकता है।

गत पाँच वर्षों (2016-21) के दौरान कुल संवितरणों के प्रभारित एवं दत्तमत में वर्गीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2016-21 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण एवं बचतों/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संवितरण		बचत	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1.	2016-17	1,43,262.70	22,913.17	17,297.87	90.45
2.	2017-18	1,52,446.45	31,640.86	15,882.96	107.23
3.	2018-19	1,70,938.53	38,837.74	19,224.26	77.79
4.	2019-20	1,74,658.95	43,879.83	24,176.34	181.67
5.	2020-21	1,74,822.52	66,438.60	26,690.95	360.87

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे

प्रभारित संवितरण वर्ष 2016-17 में ₹ 22,913.17 करोड़ से 190 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 66,438.60 करोड़ हो गये। दत्तमत संवितरण 2016-17 में ₹ 1,43,262.70 करोड़ से 22.03 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,74,822.52 करोड़ हो गये और वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत भाग के अंतर्गत बचत ₹ 15,000 करोड़ से अधिक रही।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा किये गए व्यय के लेखे है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में उल्लेखित अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभारित विनियोगों की तुलना करते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर तैयार होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित एवं दत्तमत व्यय दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजट प्रावधानों के अनुश्रवण की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए, वित्त लेखों के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह पता लगाने के लिए विनियोजन की लेखापरीक्षा करते हैं कि क्या वास्तव में बजट में निहित विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकारों के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संविधान के प्रावधानों की आवश्यकतानुसार प्रभारित किए गए हैं। यह भी पता लगाना आवश्यक है कि क्या ऐसा व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

राज्य बजट नियमावली (राबनि) का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रयोजन के लिए उपलब्ध करायी गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय के लिए वर्ष के दौरान आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य विधानसभा ने 38 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 36,253.96 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2021) का अनुमोदन किया। प्रत्येक मामले में ₹ 2.5 करोड़ या उससे अधिक के 10 मामलों में कुल ₹ 2,672.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जिन्हें तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	मूल प्रावधान से बचत
अनावश्यक अनुपूरक					
राजस्व (दत्तमत)					
1.	7-निर्वाचन	279.72	37.96	275.65	4.07
2.	17-कारागार	199.35	2.69	193.37	5.98

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	मूल प्रावधान से बचत
3.	29-शहरी योजना और क्षेत्रीय विकास	5,336.72	1,088.69	5,047.40	289.32
4.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	13,948.89	442.05	13,173.56	775.33
5.	38-लघु सिंचाई एवं भू संरक्षण	130.28	2.63	129.50	0.78
6.	41-सामुदायिक विकास	5,656.08	946.63	4,432.20	1,223.88
	योग	25,551.04	2,520.65	23,251.68	2,299.36
पूंजीगत (दत्तमत)					
7.	16-पुलिस	138.76	21.41	120.38	18.38
8.	23-श्रम एवं रोजगार	15.81	10.19	6.28	9.53
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	916.28	85.66
10.	37-कृषि	197.06	8.33	181.55	15.51
	योग	1,353.57	1,52.20	1,224.49	129.08
	महायोग		2,672.85		

स्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुदान के लिये अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इंगित करता है कि राज्य बजट नियमावली के प्रावधान के विपरीत मूल प्रावधान की पर्याप्तता का उचित आंकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य बजट नियमावली के अध्याय 24 के अंतर्गत परिकल्पित अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधानों की मांग बजटीय नियंत्रण और अपर्याप्त मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है। विभागों को भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए धन की आवश्यकता का उचित आंकलन करने और अनुपूरक प्रावधानों के आधार की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, को निधियों का हस्तांतरण है। राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य है, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक ₹ 11,701.85 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये जिसके परिणामस्वरूप भारी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 19 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचत/आधिक्य रहे (*परिशिष्ट 3.2*)। तेरह लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, एक लेखा शीर्ष में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं पांच लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप 130 उप-शीर्षों में ₹ 382.23 करोड़ अधिक व्यय हुआ एवं 412 उप-शीर्षों में ₹ 290.53 करोड़ की अंतिम बचत रही। राज्य सरकार ने इन पुनर्विनियोजनों के लिए कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2021)।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं थी।

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा आधिक्य या बचतों के पूर्वानुमानों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2021) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 1,734 पुनर्विनियोजन आदेशों में से मात्र 802 प्रकरणों (46.3 प्रतिशत) में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 932 प्रकरणों में स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति के जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' पाये गये।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी की किसी भी उल्लेखनीय प्रवृत्ति, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली किसी विशेष घटना की संभावना, की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण पाये गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 27,051.82 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 28 अनुदानों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत रही जिनमें संयुक्त रूप से कुल राशि ₹ 25,855.69 करोड़ (कुल बचत का 95.58 प्रतिशत) की बचतें रही, जिनको **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है। आठ अनुदानों के राजस्व एवं पूंजीगत दोनों भागों में बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी।

विभागों द्वारा पर्याप्त बचत के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां जारी नहीं करना/कम जारी करना और कार्यों का नहीं होना/कम होना बताये गये। अन्य कारण थे:


- कार्य की धीमी प्रगति,
- भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना,
- पदों का रिक्त रहना,
- वेतन और भत्तों पर कम व्यय,
- भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना,

- कुछ जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना,
- महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होना,
- कुछ योजनाओं का स्थगित होना,
- सम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी नहीं होना,
- योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना,
- राहत कार्यों पर कम व्यय होना,
- अर्थ-सहाय्य का कम जारी होना,
- राज्य सरकार द्वारा टैरिफ अर्थ-सहाय्य में कटौती,
- बजट सीमा में कटौती, आदि।

यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 2,24,659.49 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,19,467.48 करोड़) की तुलना में ₹ 5,192.01 करोड़ अधिक तथा संशोधित अनुमानों (₹ 2,39,652.87 करोड़) की तुलना में ₹ 14,993.38 करोड़ कम रही।

यह इंगित करता है कि इन विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित राज्य बजट नियमावली के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27,051.82 करोड़ की भारी बचत हुई। प्रत्येक समूह में ₹ करोड़ में कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर अनुदान/विनियोगों की संख्या का वर्गीकरण नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: कुल बचत के साथ अनुदान/विनियोग की संख्या



वर्ष 2020-21 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले पूंजीगत-दत्तमत भाग में आठ अनुदानों और राजस्व-दत्तमत भाग में एक अनुदान में से दो अनुदानों में सभी पांच वर्षों में कम उपयोग के साथ पांच अनुदानों में गत चार से पांच वर्षों में बजट का कम उपयोग हुआ, जो कि प्रणालीगत मामलों में सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा गहन समीक्षा की आवश्यकता की ओर इंगित करते हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान 13 अनुदानों, जिनमें उपयोग 50 प्रतिशत से कम है, में बजट आवंटन के उपयोग को तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	अनुदान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की संख्या*	बजट 2020-21	कुल बजट (5 वर्ष)
	पूंजीगत दत्तमत								
1.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	25%	36%	41%	35%	25%	5	4.15	118.73
2.	12-अन्य कर	33%	7%	90%	54%	16%	3	31.00	762.24
3.	19-लोक निर्माण कार्य	44%	59%	55%	52%	45%	2	1,033.73	6,099.78
4.	23-श्रम और रोजगार	50%	47%	60%	1%	24%	4	26.00	186.14
5.	26-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सफाई	49%	58%	71%	69%	70%	1	217.79	1,483.22
6.	32-नागरिक आपूर्ति	7%	23%	15%	1%	20%	5	4.25	20.42
7.	37-कृषि	39%	82%	44%	48%	88%	3	205.39	1,813.49
8.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	18%	91%	35%	99%	23%	3	1.75	5.97
9.	41-सामुदायिक विकास	85%	63%	32%	16%	100%	2	2.40	87.46
10.	42-उद्योग	67%	17%	5%	20%	48%	4	54.87	625.19
11.	43-स्वनिज	6%	18%	58%	92%	35%	3	206.53	1,105.78
12.	47-पर्यटन	43%	40%	61%	18%	79%	3	31.18	239.19
	राजस्व दत्तमत								
13.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	19%	56%	40%	32%	46%	4	0.15	1.50

* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन क्षेत्रों में कम उपयोग और कम उपयोग की पुनरावृत्ति के उदाहरण इन क्षेत्रों पर कम जोर देने के साथ-साथ बजट प्रक्रिया की कमी को इंगित करते हैं। सरकार द्वारा इन अनुदानों में कम उपयोग की पुनरावृत्ति के कारणों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

चार्ट 3.5: वित्तीय वर्ष 2020-21 के समापन से पूर्व बचतें और समर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान ₹ 27,052 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 27,036 करोड़ (99.94 प्रतिशत) अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई तथा ₹ 16.25 करोड़ अन-अभ्यर्पित रही।

प्रत्याशित बचतों का अन-अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अंत का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाये, जब तक कि वे उसी अनुदान के अंतर्गत अन्य इकाइयों के आधिक्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत वास्तविक अन-अभ्यर्पित राशि ₹371.29 करोड़ थी। क्योंकि यह ₹355.04 करोड़ के अतिरिक्त अभ्यर्पण से प्रति संतुलित हो गयी, वर्ष के अंत में अन-अभ्यर्पित राशि केवल ₹16.25 करोड़ थी।

16 अनुदानों/विनियोजनों (जहाँ बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक थी) के अंतर्गत 18 मामलों में कुल बचतें ₹11,524.26 करोड़ में अन-अभ्यर्पित बचत (₹364.99 करोड़) की प्रमुख राशि का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। शीघ्र अभ्यर्पण, अन्य क्षेत्रों जहाँ कमी है, में संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थपूर्ण आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

मार्च के अंत में निधियों के अधिक अभ्यर्पण का विवरण

अधिक अभ्यर्पण के प्रमुख मामले छः अनुदानों से सम्बंधित हैं, जहाँ ₹6,653.43 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹354.97 करोड़ की राशि अधिक अभ्यर्पित की गई, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रकरण जहां अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	पूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	12-अन्य कर (राजस्व-दत्तमत)	860.58	0.00	860.58	708.39	152.19	159.35	7.16
2	19-सार्वजनिक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	563.99	₹1,000	563.99	437.09	126.90	127.05	0.15
3	21-सड़कें एवं पुल (राजस्व-दत्तमत)	2,745.23	0.00	2,745.23	1,557.09	1,188.14	1,285.38	97.24

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	पूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
4	21- सड़कें एवं पुल (पूंजीगत-दत्तमत)	4,238.48	0.00	4,238.48	2,943.41	1,295.07	1,320.41	25.34
5	27-पेयजल योजनायें (पूंजीगत-दत्तमत)	3,312.49	₹4,000	3,312.49	2,674.07	638.42	825.32	186.90
6	30-जनजाति क्षेत्र विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	3,438.37	₹6,000	3,438.37	2,159.08	1,279.29	1,302.18	22.89
7	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	4,654.93	₹7,000	4,654.93	2,681.51	1,973.42	1,988.71	15.29
	योग	19,814.07	₹18,000.00	19,814.07	13,160.64	6,653.43	7,008.40	354.97

स्रोत: विनियोग लेखा।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में विभागों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (दिसम्बर 2021)।

इन छः अनुदानों में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

निरन्तर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 86 वें (मार्च 2016) और 153 वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चितता की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2020-21 के दौरान निरन्तर बचतों के मामलें लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों के दौरान, आठ अनुदानों के आठ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें कुल प्रावधान के 10.12 प्रतिशत से 47.58 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: विभिन्न अनुदानों के तहत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
<i>राजस्व-दत्तमत</i>						
1.	21-सड़कें एवं पुल	2018-19	1,668.65	1,362.34	306.31	18.36
		2019-20	2,592.21	2,217.59	374.62	14.45
		2020-21	2,745.23	1,557.09	1,188.14	43.28
2.	29-शहरी योजना एवं क्षेत्रीय विकास	2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.26
		2019-20	4,916.82	4,016.24	900.58	18.32
		2020-21	6,425.41	5,047.40	1,378.01	21.44
3.	37-कृषि	2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.67

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
		2019-20	2,502.34	2,168.48	333.86	13.34
		2020-21	3,514.53	3,158.83	355.70	10.12
पूँजीगत-दत्तमत						
4.	19-सार्वजनिक निर्माण	2018-19	1,024.80	560.35	464.45	45.32
		2019-20	805.24	422.12	383.12	47.58
		2020-21	1,033.73	468.56	565.17	54.67
5.	27-पेयजल योजना	2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.88
		2019-20	3,244.50	2,221.98	1,022.52	31.52
		2020-21	3,312.49	2,674.07	638.42	19.27
6.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	2018-19	3,682.02	2,903.21	778.81	21.15
		2019-20	3,190.76	2,552.84	637.92	19.99
		2020-21	3,438.37	2,159.08	1,279.29	37.21
7.	46-सिंचाई	2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.46
		2019-20	1,896.87	1,635.34	261.53	13.80
		2020-21	2,345.12	1,859.85	485.27	20.69
8.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2018-19	5,293.39	3,959.49	1,333.90	25.20
		2019-20	4,178.83	3,194.20	984.63	23.56
		2020-21	4,654.93	2,681.51	1,973.42	42.39

स्रोत: विनियोग लेखे।

सम्बंधित विभागों द्वारा अवगत कराये गए कारणों के अनुसार निरंतर बचतें मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां कम/नहीं जारी करने के कारण थीं। बचतों के अन्य कारण निधियों का कम हस्तांतरण, स्वीकृति/अर्थ-सहाय्य कम जारी करना, निवेश सीमा में कमी, कार्यों की धीमी प्रगति, कार्यों का कम निष्पादन/निष्पादित नहीं होना, इत्यादि थे।

निरंतर बचतें, अवधि के दौरान संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमजोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण की ओर इंगित करती हैं।

3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजट प्रावधान

एक मुश्त बजट प्रावधान, बजट के सामान्य, गैर-विशिष्ट दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिससे अनुदान के प्रमुख को काफी विवेकाधिकार मिल जाता है। राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहाँ

एक मुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, बजट टिप्पणी में एक मुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए।

लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर) के नियम 287 के अनुसार, वित्तीय स्वीकृति से अभिप्राय है कि नियम 284¹ में उल्लेखित सभी प्रमुख कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय तथा एकमुश्त प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग में सरकार की विशिष्ट सहमति है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 11 अनुदानों के 58 मामलों के अंतर्गत (जहां अभ्यर्पित प्रावधान ₹ 5 करोड़ से अधिक था), अनुमानों में ₹ 4,874.70 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से, ₹ 2,779.56 करोड़ (57.02 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजित किया गया (परिशिष्ट 3.5)। इन प्रकरणों में एकमुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (दिसम्बर 2021)।

पूंजीगत परियोजनाओं में कम व्यय, विभाग के स्तर पर कार्यों और व्यय के प्रवाह के पर्याप्त अनुश्रवण की कमी और विभाग द्वारा बिना उचित योजना के तैयार किये जा रहे प्रस्तावों की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यों में विलम्ब से लागत में वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर

वर्ष 2020-21 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.7: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	1,64,161.32	12,195.62	1,76,356.94	1,57,875.53	18,481.41	18,299.70	99.02
	II. पूंजीगत	23,809.57	557.75	24,367.32	16,455.98	7,911.34	8,091.00	102.27
	III. ऋण एवं अग्रिम	739.78	49.43	789.21	491.01	298.20	294.48	98.75
	योग	1,88,710.67	12,802.80	2,01,513.47	1,74,822.52	26,690.95	26,685.18	99.98
प्रभारित	V. राजस्व	25,725.57	10.65	25,736.22	25,415.49	320.73	310.25	96.73
	VII. पूंजीगत	₹ 9000	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00

- कार्य को तीन भागों में बांटा गया है (i) छोटे कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक नहीं है, (ii) लघु कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5.00 करोड़ से अधिक नहीं है एवं (iii) प्रमुख कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है।

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें (-)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	17,622.74	23,440.39	41,063.13	41,022.99	40.14	40.14	100.00
	योग	43,348.31	23,451.16	66,799.47	66,438.60	360.87	350.39	97.10
आकस्मिकता निधि को विनियोग (यदि कोई)	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	कुल योग	2,32,058.98	36,253.96	2,68,312.94	2,41,261.12	27,051.82	27,035.57	99.94


स्रोत: विनियोग लेखे।

* वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ: सम्मिलित हैं (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 4,981.61 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 1,185.61 करोड़ कुल: ₹ 6,167.22 करोड़)।

₹ 27,051.82 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 48 अनुदानों और 43 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 32 अनुदानों और चार विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 36,253.96 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 15.62 प्रतिशत था। बजट प्रावधान ₹ 2,68,312.94 करोड़ के समक्ष कुल बचतों के साथ सभी अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत ₹ 27,051.82 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की बड़ी बचत रही जो वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक बजट की 75 प्रतिशत थी। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना तैयार किए गए जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेखित किया गया है।

विभागों ने मूल प्रावधान के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के बारे में उत्तर नहीं दिया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से व्यय में विचलन अर्थात् 1481 उप-शीर्षों में बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण माँगा गया। तथापि, 734 उप-शीर्षों (बचत: 582 और आधिक्य: 152) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2021)।

चार्ट 3.6: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजटीय आवंटन और उनके उपयोग के बीच विचलन के लिए स्पष्टीकरण का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

अवधि वर्ष 2016-2021 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति का विवरण तालिका 3.8 में विस्तृत है:

तालिका 3.8: 2016-21 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	मूल बजट	1,74,840.75	1,86,654.01	2,17,433.13	2,39,959.67	2,32,058.98
2.	अनुपूरक बजट	8,723.44	13,423.49	11,645.19	2,937.12	36,253.96
3.	अनुपूरक बजट की मूल बजट से प्रतिशतता	4.99	7.19	5.36	1.22	15.62
4.	योग	1,83,564.19	2,00,077.50	2,29,078.32	2,42,896.79	2,68,312.94
5.	वास्तविक व्यय	1,66,175.87	1,84,087.31	2,09,776.27	2,18,538.79	2,41,261.12
6.	बचत/आधिक्य	17,388.32	15,990.19	19,302.05	24,358.00	27,051.82
7.	बचत का प्रतिशत	9.47	7.99	8.43	10.03	10.08
8.	बजट उपयोग	90.53	92.01	91.57	89.97	89.92

वर्ष 2016-2021 की अवधि के दौरान मूल प्रावधानों के विरुद्ध पूरक प्रावधान 1.22 प्रतिशत से 15.62 प्रतिशत के मध्य रहे। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक मूल प्रावधान के विरुद्ध अनुपूरक प्रावधान में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी, लेकिन यह वर्ष 2019-20 में 1.22 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 15.62 प्रतिशत से बढ़ी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान लिये गये अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन सभी वर्षों में बचतें अनुपूरक प्रावधानों से अधिक रही, जबकि वर्ष 2020-21 में अनुपूरक प्रावधान बचत से अधिक था। इस अवधि में, कुल प्रावधानों के समक्ष बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत से लेकर 10.08 प्रतिशत के मध्य रहे। वित्त विभाग ने अवगत (दिसम्बर 2021) कराया कि सभी नियंत्रक अधिकारियों को राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

3.5.2 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुये। आगे, वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल प्रावधान के विरुद्ध बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत (₹ 15,990.19 करोड़) से लेकर 10.03 प्रतिशत (₹ 24,358 करोड़) के मध्य रही। वर्ष 2020-21 के

दौरान अनुपूरक प्रावधान वास्तविक व्यय कि तुलना में अधिक था और यह मूल बजट का 15.62 प्रतिशत था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूंजीगत दत्तमत भाग के अन्तर्गत 27 प्रकरणों में अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियों के शेषों को नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: अनुपूरक/मूल प्रावधान के विरुद्ध अनुपयोजित निधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधि
पूंजीगत (दत्तमत)						
1	009-वन	72.41	30.07	102.48	82.92	19.56
2	011-विविध सामाजिक सेवाएं	4.16	0	4.16	1.06	3.10
3	012-अन्य कर	31	0	31.00	4.87	26.13
4	016-पुलिस	138.76	21.41	160.17	120.38	39.79
5	019-सार्वजनिक निर्माण	1,033.73	0	1,033.73	468.56	565.17
6	020-आवास	79.5	0	79.5	32.43	47.07
7	021-सड़कें एवं पुल	4,238.48	0	4,238.48	2,943.41	1,295.07
8	022-क्षेत्र विकास	204.56	0	204.56	124.51	80.05
9	023-श्रम और रोजगार	15.81	10.19	26	6.28	19.72
10	024-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	1,114.21	916.28	197.93
11	026-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	217.79	0	217.79	153.51	64.28
12	027-पेयजल योजना	3,312.49	0	3,312.49	2,674.07	638.42
13	028-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	306	0	306.00	149.94	156.06
14	029-नगर आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास	1,182.83	296.43	1,479.26	1,418.71	60.55
15	030-जनजाति क्षेत्र विकास	3,438.37	0	3,438.37	2,159.08	1,279.29
16	032-नागरिक आपूर्ति	4.25	0	4.25	0.84	3.4
17	033-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	233.2	49.43	282.63	259.19	23.44
18	036-सहकारिता	5.03	0	5.03	2.86	2.17
19	037-कृषि	197.06	8.33	205.39	181.55	23.84
20	038-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	1.75	0	1.75	0.41	1.34
21	039-पशुपालन एवं चिकित्सा	21.94	46.8	68.74	67.58	1.16
22	042-उद्योग	54.87	0	54.87	26.3	28.57
23	043-स्ननिज	206.53	0	206.53	72.6	133.93
24	046-सिंचाई	2,345.12	0	2,345.12	1,859.85	485.27
25	047-पर्यटन	31.18	0	31.18	24.6	6.58

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधि
26	048-विद्युत	1,333.44	0	1,333.44	300.05	1,033.39
27	051-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,654.93	0	4,654.93	2,681.51	1,973.42
	योग	24,367.13	574.93	24,942.06	16,733.35	8,208.71

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए धन की आवश्यकता के अनुमान की कमियों और इन विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण की विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत धन की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये बिना अनावश्यक अनुपूरक/मूल प्रावधान तैयार किये गए।

विभाग ने बजटीय धन का विभिन्न विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सुचारु उपयोग नहीं किया था। यह इस अवधि में अनुमानित व्यय के अवास्तविक अनुमान, व्यय पर कमजोर नियंत्रण और वित्तीय अनुश्रवण को भी इंगित करता है।

3.5.3 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2020-21 के दौरान, 178 योजनाओं/शीर्षों के अन्तर्गत किए गए संपूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) ₹ 3,278.60 करोड़ उपयोग नहीं किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग नहीं किए गए बजट प्रावधानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 56 योजनाओं में बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और संशोधित अनुमानों में 25 योजनाओं में टोकन प्रावधान किए गए थे। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान विभागों की वित्तीय मांग और आवश्यकता के उचित आंकलन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में योजना का स्वीकृत नहीं होना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होना, कार्य का निष्पादन नहीं होना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना, संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी नहीं करना, योजनाओं का प्रारम्भ न होना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होना इत्यादि शामिल हैं।

आगे, यह भी देखा गया कि संबंधित विभाग की अनुदानों की मांगों से हटाए बिना, जैसा कि राज्य बजट नियमावली द्वारा प्रावधित था, गत तीन वर्षों से निरन्तर अनावश्यक प्रावधान किए जाने के मामले थे और वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया जा रहा था। ऐसे उदाहरणों को **परिशिष्ट 3.7** में सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए फरवरी 2020 में बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर वर्तमान प्रगति से अवगत कराया (सितम्बर 2021) था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित परियोजनाओं/नीतिगत पहलों के संबंध में सीमित या कोई प्रगति नहीं हुई है:

तालिका 3.10: वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

क्रं. सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	13	मिलावटी पदार्थों की जाँच के लिए प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जिसमें नमूने की रिपोर्ट ऑन लाइन दी जाएगी। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही हेतु अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।	विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हेतु प्रकरण विधि विभाग में विचाराधीन है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की स्थिति के बारे में पूछने पर भी अवगत नहीं कराया गया (अक्टूबर 2021)।
2.	चिकित्सा शिक्षा	28	मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में 30-30 बेड के चार नए वार्ड एवं एक नये न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना एवं संचालन।	विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा से स्वीकृति प्रतीक्षित है।
3.	आयुर्वेद	29	अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्य सरकार से बजट घोषणा के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होने में देरी (22.03.2021) तथा राशि देरी से (31.03.2021) जारी करने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
4.	आयुर्वेद	31	राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नये स्नातकोत्तर महिला छात्रावास एवं मौजूदा स्नातक छात्रावास का निर्माण/विस्तार।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्य सरकार से बजट घोषणा के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होने में (22.03.2021) तथा राशि (31.03.2021) जारी करने में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
5.	अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ़	60	मसूदा (अजमेर) एवं कामां (भरतपुर) में अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय और नागौर, सवाई माधोपुर एवं लाडनू (नागौर) में तीन अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि मसूदा में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय और नागौर एवं सवाई माधोपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवन निर्माणाधीन हैं। कामां में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय एवं लाडनू (नागौर) में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवन का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ। आगे, कामां, भरतपुर से सम्बंधित कार्य राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन के कारण प्रारम्भ नहीं हुए।

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
6.	अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ़	61	जिला मुख्यालय जयपुर में 100 बिस्तर वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ एवं 2020-21 में कोई व्यय नहीं हुआ।
7.	स्कूल शिक्षा	98	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, छात्रावास, बेडमिन्टन कोर्ट, तरणताल एवं ऑडिटोरियम सुविधाएं।	विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि वायु सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
8.	सार्वजनिक निर्माण	126	राज्य में ज्यादा खराब सड़कों की पहचान की गयी है, जिनमें से वर्ष 2020-21 में 19 विभिन्न खराब सड़कों का प्रथम चरण में पुनर्नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार किया जायेगा, जिस पर लगभग ₹ 400.00 करोड़ व्यय किये जायेंगे।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि डीएमएफटी योजना में इन कार्यों की स्वीकृति खनिज विभाग से प्रतीक्षित है एवं 2020-21 में कोई व्यय नहीं हुआ। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कार्यादेश 2021-22 में जारी हुए हैं।
9.	राजस्व एवं सैनिक कल्याण	196	राज्य के 24 जिला सैनिक कार्यालयों में आगन्तुक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सुविधाएँ विकसित करने के क्रम में, जिला सैनिक कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 5.00 लाख प्रति जिला प्रस्तावित है।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई एवं सितम्बर 2021) कि 2020-21 में इन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था। दस कार्यालयों के लिए बजट 2021-22 में स्वीकृत किया गया तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी, लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

• **पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव**

सम्बंधित विभागों से प्राप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया कि पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के बाद भी निम्न बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

तालिका 3.11: पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन नहीं होने के अवगत कराये गए कारण
1.	चिकित्सा शिक्षा	2018-19	87	बढ़ते हुए रोगी भार को देखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में एक नयी कैथ लेब की स्थापना ₹ 6 करोड़ की लागत से की जाएगी।	सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि ₹ 3.53 करोड़ की लागत से मशीन क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन टर्न-की कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कैथ लेब की स्थापना लम्बित है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन नहीं होने के अवगत कराये गए कारण
2.	चिकित्सा शिक्षा	2018-19	92	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में ड्यूल इमेजिंग सिस्टम, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेसन यूनिट, C-आर्म मशीन उपलब्ध कराने पर ₹ 3.72 करोड़ व्यय किए जाएंगे।	चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कोटा ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि ड्यूल इमेजिंग सिस्टम क्रय नहीं किया था, क्योंकि मांग करने वाले विभाग (उदर रोग विभाग) के विभागाध्यक्ष ने अवगत कराया कि मशीन की आवश्यकता नहीं है। यह भी अवगत कराया कि ब्लड कम्पोनेंट सेपरेसन यूनिट स्वरीद ली गयी थी। इसके अतिरिक्त, C-आर्म मशीन के लिए निविदा दो-तीन बार की गयी थी लेकिन अत्यधिक दरें प्राप्त होने के कारण निरस्त कर दी गयी।
3.	स्वायत्त शासन	2018-19	163	जयपुर शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए जेसीटीएसएल द्वारा ₹ 72 करोड़ की लागत से 40 नई ई-बसें चलाई जानी थी।	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (जेसीटीएसएल), जयपुर ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि फेम इंडिया योजना-I के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) की स्वीकृति दिनांक 27.12.2017 द्वारा जेसीटीएसएल को 40 ई-बसें आवंटित की गयी थी। जेसीटीएसएल द्वारा 40 ई-बसों के लिए क्रयदेश 28.2.2018 को जारी किया गया। भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) द्वारा 31.3.2019 को इस योजना की समाप्ति के कारण जेसीटीएसएल को जारी स्वीकृति 4.4.2019 को वापस ले ली गई। परिणामस्वरूप, जेसीटीएसएल द्वारा जारी निविदा 16.10.2019 को निरस्त कर दी गयी।

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव, बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुसरण की कमी का सूचक है।

3.5.4 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना स्वस्थ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों

के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए।


वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय (₹ 2,35,093.90 करोड़) का 31.30 प्रतिशत (₹ 73,573.99 करोड़) व्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा गया। यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,24,659.49 करोड़) में से 30.99 प्रतिशत (₹ 69,618.83 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। आगे, वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में गत वर्ष 2019-20 की तुलना में 4.30 प्रतिशत (₹ 3,038 करोड़) की गिरावट आई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 19 अनुदानों के अन्तर्गत 65 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में, कुल व्यय ₹ 5,848.84 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए जो कुल व्यय (₹ 8,210.72 करोड़) का 71.23 प्रतिशत था और ₹ 5,547.33 करोड़ (67.56 प्रतिशत) अकेले मार्च 2021 में व्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित **चार्ट 3.7** में दिया गया है।

चार्ट 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)



चार्ट दर्शाता है कि प्राप्तियाँ और व्यय फरवरी 2021 तक लगभग सभी महीनों में समान रूप से वितरित किए गए थे। तथापि, वर्ष के शेष महीनों की तुलना में मार्च 2021 में प्राप्तियों और व्यय में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा मार्च माह में किया गया ₹ 39,770 करोड़ का व्यय कुल व्यय ₹ 2,35,093.90 करोड़ का लगभग 16.92 प्रतिशत था।

संयोगवश, वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित/जमा किए गए ₹ 37,714.42 करोड़ में से, ₹ 5,913.31 करोड़ (22.15 प्रतिशत) मार्च 2021 में हस्तांतरित किए गए।

चौदह मुख्य शीर्षों का विवरण, जहां मार्च माह के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, नीचे तालिका 3.12 में दिया गया है:

तालिका 3.12: वर्ष 2020-21 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	8.47	6.02	11.04	4,379.68	4,405.20	4,377.32	99.42	99.37
2.	2404	डेयरी विकास	0.00	500.00	2.96	1,000.00	1,502.96	1,000.00	66.54	66.54
3.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.09	0.00	0.84	0.92	0.84	90.68	90.68
4.	4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	1.86	46.81	48.67	46.52	96.18	95.58
5.	4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	7.50	125.00	1,023.91	1,156.41	1,023.91	88.54	88.54
6.	4405	मत्स्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	100.00	100.00
7.	4406	वन एवं वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय	9.57	188.32	147.24	918.70	1,263.83	740.59	72.69	58.60
8.	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	100.00	100.00
9.	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	4,034.90	4,034.90	2,357.00	100.00	58.42
10.	4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00
11.	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय शोधों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.56	100.00	91.15
12.	6202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
13.	7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण	2.50	0.00	0.00	500.00	502.50	500.00	99.50	99.50
14.	7075	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	210.61	210.61	210.61	100.00	100.00
		योग	20.54	701.93	288.09	12,166.92	13,177.48	10,308.01	92.33	78.22

मार्च माह में व्यय का उच्च प्रतिशत वाले कृषि विभाग के मुख्य शीर्ष 2401 का माह-वार व्यय चार्ट 3.8 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 3.8: मुख्य शीर्ष 2401-कृषि का माह-वार व्यय

(₹ करोड़ में)



वर्ष के अंतिम महीने में किया गया भारी व्यय, व्यय/प्राप्तियों पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को इंगित करता है। विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति का अनुश्रवण कर सकता है और व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रख सकता है।

3.5.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से अनुदान संख्या 37-कृषि तथा अनुदान संख्या 42-उद्योग का चयन विगत तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है।

इस विश्लेषण के अंतर्गत बजट एवं व्यय, संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन के पश्चात आधिक्य व्यय, अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरन्तर बचतें तथा इन अनुदानों के तहत विगत बजट भाषणों की योजनाओं की स्थिति पर कई टिप्पणियां शामिल हैं।

अनुदान संख्या 37-कृषि

कृषि विभाग का मुख्य कार्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों/खेतीहर मजदूरों की आय में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विभाग प्रयास करता है:

- प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ भूमि और पानी, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, फसल विविधीकरण के सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
- खेती की लागत को कम करना।
- प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की विफलता से किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान करना।
- पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद करने के लिए कार्यक्रम शुरू करना।
- व्यापक प्रसार के लिए कृषि-तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करना।

अनुदान संख्या 37- कृषि का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अधीन है। वर्ष 2018-21 के दौरान बजटीय स्थिति, व्यय एवं बचत की समग्र स्थिति का विवरण नीचे तालिका 3.13 में दिया गया है:

तालिका 3.13: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2018-19				2019-20				2020-21			
	कुल (मू+घ)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+घ)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+घ)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व	2,507.20	2,013.91	493.29 (19.67%)	493.27	2,502.34	2,168.48	333.86 (13.34%)	333.73	3,514.52	3,158.83	355.69 (11.26%)	352.71
पूंजीगत	417.70	183.53	234.17 (56.06%)	234.17	246.80	118.39	128.41 (52.03%)	112.37	205.39	181.55	23.84 (11.61%)	23.84
योग	2,924.9	2,197.44	727.46	727.44	2,749.14	2,286.87	462.27	446.1	3,719.91	3,340.38	379.53	376.55

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.26 प्रतिशत से 19.67 प्रतिशत के मध्य रही।
- वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.61 प्रतिशत से 56.06 प्रतिशत के मध्य रही।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹ 355.69 करोड़ (11.26 प्रतिशत) की अंतिम बचतों में से राशि ₹2.98 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2020-21 के दौरान, 38 योजनाएं/कार्यक्रम ऐसे थे जहां प्रावधान अत्यधिक किए गए थे और बचतें ₹ एक करोड़ और अधिक थीं। इन योजनाओं में कुल ₹ 451.90 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें थीं जैसा **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है।

बजट आवंटन के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें संकेत देती हैं कि बजट निर्माण/अनुदानों की माँगें तैयार करने और अनुश्रवण के बारे में राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

निरन्तर बचतें

अनुदान की लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक निरन्तर बचत वाली योजनाएँ (₹ एक करोड़ से अधिक प्रावधान) थीं जैसा कि नीचे **तालिका 3.14** में वर्णित है:

तालिका 3.14: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत देखी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2401-109-13 अभिनव कार्यक्रम / मिनीकिट वितरण	2018-19	6.36	2.47	3.89	61.22
		2019-20	3.50	1.88	1.61	46.13
		2020-21	3.50	1.94	1.56	44.69
2.	2401-119-25 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2018-19	56.25	49.69	6.56	11.66
		2019-20	48.60	46.49	2.11	4.33
		2020-21	61.20	41.31	19.89	32.50
3.	2401-119-36 सोलर पंप सेट पर अतिरिक्त अनुदान	2018-19	124.78	103.07	21.71	17.40
		2019-20	78.06	20.71	57.35	73.47
		2020-21	183.40	60.20	123.20	67.18
4.	2401-196-06-35 सतत कृषि मिशन-कृषि वानिकी	2018-19	2.46	1.44	1.02	41.71
		2019-20	2.27	0.82	1.45	63.67
		2020-21	2.40	0.72	1.68	69.85
5.	2401-196-06-36 बीज विकास	2018-19	5.95	3.01	2.94	49.44
		2019-20	3.50	2.20	1.30	37.19
		2020-21	3.50	0.90	2.60	74.34
6.	2401-196-09-01 स्थापना व्यय -प्रतिबद्ध	2018-19	54.97	52.98	1.99	3.62
		2019-20	58.04	50.67	7.37	12.70
		2020-21	59.27	55.16	4.11	6.93
7.	2401-197-02 पंचायत समिति स्तर पर स्थापना व्यय	2018-19	62.61	62.41	0.20	0.31
		2019-20	74.46	53.22	21.23	28.52
		2020-21	62.03	55.49	6.54	10.55
8.	2401-197-04-01 स्थापना व्यय -प्रतिबद्ध	2018-19	236.26	229.05	7.21	3.05
		2019-20	251.36	195.83	55.53	22.09

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
		2020-21	243.36	198.57	44.79	18.40
9.	2401-800-27-02 बागवानी विभाग के माध्यम से	2018-19	37.39	22.46	14.93	39.93
		2019-20	32.65	19.40	13.25	40.58
		2020-21	35.84	9.98	25.86	72.16
10.	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	2018-19	11.71	5.51	6.2	52.25
		2019-20	9.45	5.96	3.49	36.94
		2020-21	6.67	1.64	5.03	75.34
11.	2401-800-31-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2018-19	54.39	34.70	19.69	36.21
		2019-20	53.48	39.50	13.97	26.13
		2020-21	76.77	20.36	56.41	73.48
12.	2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	2018-19	6.24	3.83	2.41	38.67
		2019-20	6.12	0.78	5.34	87.18
		2020-21	8.80	1.91	6.89	78.29
13.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2018-19	130.53	100.54	29.99	22.97
		2019-20	100.42	45.94	54.48	54.25
		2020-21	134.23	101.86	32.37	24.11
14.	4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	2018-19	22.00	5.58	16.42	74.64
		2019-20	8.23	2.53	5.70	69.20
		2020-21	6.00	4.48	1.52	25.36
15.	6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भंडारण निगम को ऋण	2018-19	80.00	27.00	53.00	66.25
		2019-20	50.00	0	50.00	100.00
		2020-21	50.00	0	50.00	100.00

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचत के लिए मुख्य रूप से (i) बीज मिनीकिट की कम आपूर्ति (ii) निविदा प्रक्रिया में देरी (iii) भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी में देरी (iv) गोदामों के निर्माण की धीमी प्रगति और (v) कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। अन्य कारणों में पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए कम राशि की स्वीकृति, कोविड-19 महामारी के कारण जिप्सम की आपूर्ति प्रभावित होना इत्यादि सम्मिलित हैं।

निरन्तर बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे और विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहां वर्ष 2020-21 के दौरान 100 प्रतिशत बचत थी, नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	शीर्ष का नाम	योग (मू+पू)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1	2401-102-01-01 राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ	0.25	0	0.25	100.00
2	2401-102-01-06 राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा मिशन-वानिकी तिलहन	0.34	0	0.34	100.00
3	2401-111-03 फसल उत्पादन एवं अनुमानित क्षेत्रफल के संबंध में समय पर सूचना देने के लिए	4.00	0	4.00	100.00
4	2401-111-04 फसल के आंकड़ों में सुधार	1.56	0	1.56	100.00
5	2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	0	17.50	100.00
6	2401-800-35-05 सतत कृषि वानिकी (बागवानी विभाग के माध्यम से)	0.48	0	0.48	100.00
7	2401-800-36-01 कृषि विभाग के माध्यम से	0.30	0	0.30	100.00
8	2435-60-800-01-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	80.00	0	80.00	100.00
	योग	104.43	0	104.43	

विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2021) कि भारत सरकार द्वारा राज्य के आकांक्षी जिलों को छोड़कर धनराशि जारी न करने, कोविड 19 महामारी के कारण जिप्सम आपूर्ति पर प्रभाव, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने आदि के कारण बचत हुई।

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना एक तदर्थ आधार पर तैयार किया गया।

अधिक व्यय

राज्य बजट नियमावली के पैरा 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। राज्य बजट नियमावली के पैरा 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यधिक सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकता और बचत के गलत विवरण न सिर्फ वित्त विभाग की असुविधा का कारण बनते हैं, बल्कि अतिरिक्त व्यय के भी, जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

विनियोग लेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि इस अनुदान के कुछ शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था। कुछ शीर्ष जहां अधिक व्यय देखा गया था, नीचे तालिका 3.16 में दिए गए हैं:

तालिका 3.16: अनुदान के अंतर्गत शीर्षों में अधिक व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	राज्य योजना (पी), केंद्रीय निधि (सी)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण/पुनर्विनि योजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	2401-109-16-01 कृषि विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन	पी	6,33,00,000	27,87,000	6,60,87,000	6,60,49,885	(-)37,115
		सी	9,45,00,000	46,27,000	9,91,27,000	9,91,61,482	(+)34,482
2.	2401-109-16-05 कृषि में ई-गवर्नेंस योजना	पी	1,00,72,000	-65,83,000	34,89,000	34,86,269	(-) 2,731
		सी	1,51,08,000	-98,75,000	52,33,000	52,36,050	(+) 3,050
3.	2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से ड्रिप सिंचाई में परिवर्तन के लिए (प्रधानमंत्री कृषि योजना वृहत सिंचाई)	पी	25,17,90,000	25,18,73,000	50,36,63,000	50,45,68,655	(+) 9,05,655
		सी	37,76,87,000	37,78,09,000	75,54,96,000	75,44,46,222	(-) 10,49,778
4.	2401-196-06-20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालें	पी	45,26,83,000	19,70,23,000	64,97,06,000	64,70,27,041	(-)26,78,959
		सी	67,90,25,000	29,55,34,000	97,45,59,000	97,72,35,855	(+) 26,76,855
5.	2401-196-06-25 कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-कृषि विस्तार	पी	12,12,35,000	2,01,80,000	14,14,15,000	13,97,95,728	(-)16,19,272
		सी	15,27,65,000	1,67,72,000	16,95,37,000	17,11,56,194	(+) 16,19,194
6.	2401-196-06-26 कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-कृषि विस्तार	पी	5,35,69,000	3,52,43,000	8,88,12,000	8,84,85,747	(-) 3,26,253
		सी	8,03,53,000	5,28,65,000	13,32,18,000	13,35,45,075	(+) 3,27,075
7.	2401-196-06-28 सतत कृषि मिशन-वर्षा आधारित क्षेत्र विकास	पी	1,11,66,000	63,81,000	1,75,47,000	17,53,908	(+)6,908
		सी	1,67,49,000	95,71,000	2,63,20,000	2,63,13,570	(-) 6,430
8.	2401-196-06-29 सतत कृषि मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	पी	6,46,62,000	2,26,44,000	4,20,18,000	4,20,30,934	(+) 12,934
		सी	9,69,93,000	3,39,67,000	6,30,26,000	6,29,64,873	(-) 61,127
9.	2401-196-06-38 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषण अनाज	पी	9,95,82,000	-1,60,000	9,94,22,000	9,98,17,985	(+) 3,95,985
		सी	14,93,72,000	-2,39,000	14,91,33,000	14,89,87,183	(-)1,45,817
10.	2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	पी	25,06,84,000	7,51,72,000	32,58,56,000	33,26,16,682	(+)67,60,682
		सी	37,60,25,000	11,27,61,000	48,87,86,000	48,20,26,815	(-) 67,59,185
11.	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	पी	2,66,67,000	-2,00,90,000	65,77,000	64,88,923	(-) 88,077
		सी	4,00,00,000	-3,01,34,000	98,66,000	99,53,979	(+) 87,979
12.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	पी	53,69,22,000	20,70,09,000	74,39,31,000	87,99,30,996	(+)13,59,99,996
		सी	80,53,83,000	-53,06,69,000	27,47,14,000	13,87,14,135	(-)13,59,99,865

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा राज्य योजना या केन्द्रीय योजना के तहत इन मदों के लिए निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था, जो बजटीय और व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

व्यय का प्रवाह

व्यय की एकसमान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय की किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत 11 उप-शीर्षों (जहाँ या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम महीने के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था) के संबंध में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल ₹1,391.95 करोड़ का व्यय किया गया था जो कुल व्यय (₹1,865.80 करोड़) का 74.60 प्रतिशत था। इसमें से ₹899.07 करोड़ (48.19 प्रतिशत) अकेले मार्च 2021 में व्यय किया गया, जैसा कि नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.17: अनुदान जिसमें अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
1	2401-103-15 फसल कृषिकर्म-बीज विकास योजना (उत्पादन और वितरण)	0.37	0.26	0.68	55.01	37.63
2	2401-107-07 फसल कृषिकर्म-पौध संरक्षण प्रयोगशालाएं	0.08	0.06	0.14	59.31	39.37
3	2401-110-02 फसल कृषिकर्म-फसल बीमा	1,125.33	659.17	1,470.08	76.55	44.84
4	2401-119-26 फसल कृषिकर्म-बागवानी मिशन प्रवाह सिंचाई से ड्रिप सिंचाई में परिवर्तन के लिए (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वृहत सिंचाई)	65.82	64.71	125.91	52.28	51.39
5	2401-119-31 फसल कृषिकर्म-पौध संरक्षण कार्यों के लिए बागवानी और सब्जी फसल सहायता	0.03	0.02	0.05	70.74	40.07
6	2401-800-02-01 अन्य व्यय- जल योजना के लिए सहायतार्थ अनुदान	37.76	19.84	64.10	58.91	30.95
7	2401-800-37-01 अन्य व्यय- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	78.87	78.83	101.86	77.42	77.39
8	2401-800-40-01 अन्य व्यय- शून्य लागत आधारित कृषि	1.04	1.04	1.49	69.84	69.57
9	4401-800-02-01 अन्य व्यय- एजेंसी के माध्यम से कृषि विभाग भवन	6.24	6.3	8.28	75.42	76.05
10	4401-800-03-01 अन्य व्यय- राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (एस सी ए)	61.41	53.84	78.21	78.53	68.85
11	6401-800-10-01 अन्य व्यय- कृषि उपज मंडी को ऋण (नाबार्ड)	15.00	15.00	15.00	100	100
	योग	1,391.95	899.07	1,865.80		

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान विभाग द्वारा किया गया भारी व्यय प्रगतिशील व्यय पर कम नियंत्रण का संकेत है।

इस संबंध में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 में की गई सिफारिशों के आधार पर आयुक्त, कृषि द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था (जुलाई 2021), जिसके माध्यम से डीडीओ/बजट नियंत्रण अधिकारियों को वेतन, भत्ते और योजना कार्यान्वयन के प्रावधान करते समय राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए थे। यह भी निर्देश दिया गया था कि भविष्य में स्वीकृत बजट का मासिक आधार पर उपयोग किया जाए और दिसम्बर तक 60 प्रतिशत बजट का उपयोग किया जाए, जिसके अभाव में नियंत्रक अधिकारी/डीडीओ उत्तरदायी होंगे।

पिछले बजट भाषण में की गई योजना घोषणाओं की स्थिति

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है:

तालिका 3.18: पिछले वर्षों के बजट भाषण में प्रमुख योजनायें/घोषणाएं

क्र. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	(बजट घोषणा 83) बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने किसान सेवा केंद्र को फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 5.90 करोड़ का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि ₹ 4.90 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2.89 करोड़ का व्यय कर 1170 किसान सेवा केन्द्रों में से 678 किसान सेवा केन्द्रों को सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि विभाग को सौंपा गया।
2.	(बजट घोषणा 89) बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम 10 प्रगतिशील किसानों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में मानद विस्तार कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जाएगा और ऐसे प्रगतिशील किसानों को प्रतिदिन ₹ 1,000 व्याख्यान मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि मानद कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उन्हें मानदेय देने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं। तथापि, मानदेय के भुगतान के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।
3.	(बजट घोषणा 104) बजट भाषण 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने 1,180 किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केन्द्रों को विद्युत, जल एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 5.40 करोड़ प्रस्तावित किया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि ₹ 2.90 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2.37 करोड़ का व्यय कर 1180 किसान सेवा केन्द्रों में से मात्र 763 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया और सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि विभाग को सौंपा गया।
4.	(बजट घोषणा 20) बजट भाषण 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने 'कृषि धारा कार्यक्रम' के तहत कृषि ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों, किसान मेलों के बहुउपयोगी आयोजन के लिए ₹ 2 करोड़ प्रस्तावित किये।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि वित्त विभाग ने बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया, ऐसे में विभाग ने सभी प्रखंडों के स्थान पर जयपुर शहर में केवल एक किसान मेला आयोजित किया।
5.	(बजट घोषणा 33) बजट भाषण 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य में कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 12,500 कृषि तालाबों का निर्माण करने के लिए ₹ 150 करोड़ प्रस्तावित किये।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि विभाग ने 12,500 कृषि तालाबों में से ₹ 31.05 करोड़ व्यय करने के बाद केवल 4,173 कृषि तालाबों का निर्माण कराया।

उपरोक्त तालिका में दिये गए विवरण धीमी अनुवर्ती कार्यवाही एवं बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति को इंगित करते हैं।

धन का कम/अनुपयोग इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर न सिर्फ आगामी वर्षों में वित्तीय भार को बढ़ाता है बल्कि देरी एवं लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारक बनता है।

प्राप्तियां

कृषि विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष “0401-कृषि” में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्तियों में फलों एवं सब्जियों की बिक्री, नीलामी, सेवा शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल है। अवधि 2018-21 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.19: अवधि 2018-21 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	संशोधित अनुमान से आधिक्य (+) / कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0401-103-01 राईजोबियम कल्चर संवर्धन योजनाओं से फसल कृषिकर्म बीज प्राप्तियां	2018-19	0.01	17.5	1.29	(-)16.21	92.63
		2019-20	1.50	1.80	1.63	(-)0.17	9.44
		2020-21	2.00	2.75	2.27	(-)0.48	17.45
2.	0401-107-01 पौध संरक्षण सेवाओं से फसल कृषिकर्म प्राप्तियां, कीटनाशक दवा सेवाओं से प्राप्तियां	2018-19	20.00	4.50	3.51	(-)0.99	22.00
		2019-20	4.00	3.00	0.86	(-)2.14	71.33
		2020-21	3.50	0.10	0.00	(-)0.10	100
3.	0401-800-02-01 अन्य विविध प्राप्तियां	2018-19	438.79	450.00	820.39	(+)370.39	82.31
		2019-20	450.00	850.00	514.33	(-)335.67	39.49
		2020-21	900.00	850.00	794.34	(-)55.66	6.54
4.	0401-800-02-04- अन्य प्राप्तियां, बागवानी विभाग से प्राप्तियां	2018-19	20.20	250.00	249.40	(-)0.60	0.24
		2019-20	150.00	80.00	37.20	(-)42.80	53.50
		2020-21	100.00	80.00	145.94	(+)65.94	82.40
5.	0401-800-50-01 बेकार सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	2018-19	1.00	1.00	0.62	(-)0.38	38.00
		2019-20	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	100
		2020-21	1.00	1.20	1.04	(-)0.16	13.33
6.	0401-800-50-02 अन्य बेकार सामान के निस्तारण से प्राप्तियां	2018-19	1.00	3.00	2.49	(+)0.51	17.00
		2019-20	3.00	1.25	1.74	(+)0.49	39.20
		2020-21	1.50	2.50	5.12	(+)2.62	104.80

यह देखा गया कि अवधि 2018-21 के दौरान उपरोक्त सभी मामलों में संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों में पर्याप्त विचलन था जो आंकलन में कमी को दर्शाता है।

विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों के साथ-साथ आगामी वित्त वर्ष के अनुमान वित्त वर्ष के प्रारम्भ से दिसम्बर तक की प्राप्तियों के आधार पर तैयार किये एवं वित्त विभाग को भेजे जाते हैं। तथापि, संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में अधिक विचलन से स्पष्ट है कि विभाग ने अनुमान तैयार करने में गत वर्ष की प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखा, जैसाकि राज्य बजट नियमावली द्वारा आवश्यक था।

अनुदान संख्या 42-उद्योग

विभाग का मुख्य कार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) का संवर्धन करना, उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता, लवण क्षेत्रों का विकास, हथकरघा कर्मकारों का विकास, हथकरघा विकास इत्यादि हैं। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न छूट, सुविधाएँ एवं सहायता भी उपलब्ध कराता है।

अनुदान संख्या 42 का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के अधीन है। वर्ष 2018-21 के दौरान बजट, व्यय एवं बचत की समग्र स्थिति नीचे तालिका 3.20 में वर्णित है:

तालिका 3.20: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2018-19				2019-20				2020-21			
	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व	251.31	214.90	36.41 (14.48%)	36.19	428.63	327.44	101.19 (23.61%)	101.03	309.56	256.18	53.38 (17.24%)	53.38
पूंजीगत	433.41	21.94	411.47 (94.94%)	411.43	95.06	18.71	76.35 (80.32%)	76.34	54.87	26.30	28.57 (52.07%)	28.44
योग	684.72	236.84	447.88	447.62	523.69	346.15	177.54	177.37	364.43	282.48	81.95	81.82

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 14.48 प्रतिशत से 23.61 प्रतिशत के बीच रही जबकि पूंजीगत भाग के अन्तर्गत यह 52.07 प्रतिशत से 94.94 प्रतिशत के मध्य रही।
- वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के अंतिम दिवस को क्रमशः राशि ₹ 447.62 करोड़, ₹ 177.37 करोड़ एवं ₹ 81.82 करोड़ अभ्यर्पित किये गए।
- राज्य बजट नियमावली के अनुसार, अनुदान जो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किये जा सके अभ्यर्पित किये जाने चाहिए। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत अंतिम बचतों में से क्रमशः ₹ 21.26 लाख एवं ₹ 16.85 लाख अन-अभ्यर्पित रहे। वर्ष 2018-19, 2019-20

एवं 2020-21 के दौरान पूंजीगत भाग में अंतिम बचतों में से क्रमशः ₹ 4.76 लाख, ₹ 1.00 लाख एवं ₹ 13.50 लाख अन-अभ्यर्पित रहे।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा राज्य बजट नियमावली के बजट नियंत्रण से सम्बंधित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी।

यह भी देखा गया कि अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान का बड़ा भाग अनुपयोगी रहा, जो सम्बंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय को प्राप्त नहीं करने का सूचक है। यह इंगित करता है कि विगत वर्षों के व्यय को ध्यान में रखे बिना बजट अनुमान तैयार किये गए जैसा कि राज्य बजट नियमावली के नियम 13.7 के अंतर्गत आवश्यक था, जिसके कारण, मुख्य रूप से लेखों के पूंजीगत भाग के अन्तर्गत, निरन्तर बचतें रही।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

अनुदान के अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों की नमूना जाँच में निम्न दृष्टिगत हुआ:

- **राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड**

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास, कार्यक्रम आयोजित एवं कार्यान्वित करना, अल्प आय वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान शीर्ष "राजस्थानी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान" के अंतर्गत ₹ 32.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। विभाग मात्र ₹ 24.13 करोड़ का उपयोग कर सका एवं शेष राशि ₹ 8.37 करोड़ (25.75 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि यह बचत व्यय सीमा में कमी के कारण कम अनुदान जारी करने के कारण हुई और अधिक व्यय को पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से पूरा किया गया।

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना**

यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना सुगम करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज ऋण प्रदान करने और राज्य के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए ₹ 6.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग केवल ₹ 3.60 करोड़ का उपयोग कर सका और शेष राशि ₹ 2.90 करोड़ (44.61 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने राशि के कम उपयोग के कारणों से अवगत नहीं कराया (दिसम्बर 2021)।

- **युवा औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता (युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना)**

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013-14² में युवा उद्यमियों को राज्य में नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रारम्भ की गई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस योजना के लिए ₹ 9.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग केवल ₹ 6.75 करोड़ का उपयोग कर सका और शेष राशि ₹ 2.25 करोड़ (25 प्रतिशत) का अभ्यर्पण

2. वर्ष 2015 में संशोधित

किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि कोविड-19 महामारी के कारण योजना के अंतर्गत ऋणों की कम स्वीकृति और इसके परिणामस्वरूप निधियों के कम वितरण के कारण बचत हुई।

• **क्लस्टर विकास नैदानिक अध्ययन**

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और शिल्पकारों का विकास क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए, वर्ष 2005-06 में राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 'क्लस्टर विकास नैदानिक अध्ययन' कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, बाजार सहायता, क्षमता निर्माण, आदि के साथ स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किये गए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर चयनित क्लस्टरों में क्लस्टर विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए ₹ 1.07 करोड़, ₹ 1.30 करोड़ और ₹ 1.20 करोड़ के बजट प्रावधान किये गए। विभाग क्रमशः केवल ₹ 0.56 करोड़, ₹ 1.16 करोड़ और ₹ 0.67 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 0.51 करोड़ (47.66 प्रतिशत), ₹ 0.14 करोड़ (10.77 प्रतिशत) और ₹ 0.53 करोड़ (44.17 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया। विभाग द्वारा प्रावधानों के कम उपयोग के कारण अवगत नहीं कराये गए (दिसम्बर 2021)।

• **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना**

कपड़ा इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की गई थी। योजना के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 75 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा, 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत स्वयं के धन/ स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा बैंकों से ऋण से दिया जायेगा। राज्य में आईपीडीएस के तहत चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। विभाग के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार चारों परियोजनायें प्रगतिरत है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस योजना के लिए ₹11.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग ₹ 8.00 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 3.50 करोड़ (30.43 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये। विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि तीन परियोजनाएं कार्यान्वयन/प्रचालन के अधीन हैं और एक परियोजना चालू नहीं है। तथापि, विभाग द्वारा प्रावधानों के कम उपयोग के विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया गया (दिसम्बर 2021)।

• **रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन**

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके राजस्थान राज्य के औद्योगीकरण का नेतृत्व करता है। रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन को प्रशासित करने हेतु सम्पूर्ण राजस्थान में 28 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। रीको द्वारा आधारभूत सामाजिक संरचना के प्रावधानों के साथ-साथ सड़क, बिजली, रोड लाइट, जलापूर्ति, जल निकासी आदि सहित भौतिक आधारभूत संरचनाएँ विकसित की गई हैं।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन के लिए क्रमशः ₹ 96.00 करोड़ और ₹ 75.00 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान केवल ₹ 1.00 करोड़ का उपयोग किया गया था और वर्ष 2020-21 में इस

उद्देश्य हेतु कोई राशि उपयोग नहीं ली गयी। विभाग ने कम उपयोग का कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को बताया (जुलाई 2021)।

• **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान**

केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), जयपुर की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 व्यय बंटवारे के आधार पर की गई थी। जयपुर केंद्र कैड/कैम/सीएई के माध्यम से प्लास्टिक की वस्तुओं, मोल्ड डिजाइन के उत्पादन में लगा हुआ है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थान में उच्च अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए ₹ 3.66 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, पूरी राशि अप्रयुक्त रही और अभ्यर्पित कर दी गयी। विभाग ने बताया (जुलाई 2021) कि प्रावधान व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान, परियोजना के लिए ₹ 1,000 का टोकन प्रावधान किया गया था। तथापि वर्ष के दौरान इसे बढ़ाया नहीं गया जिसके कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी और टोकन प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि वित्त विभाग को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित अनुमानों में प्रावधान नहीं करने के कारण स्वीकृति जारी नहीं की थी।

• **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर**

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना (डीएमआईसी) दिल्ली और मुंबई के बीच एक औद्योगिक विकास परियोजना है। यह छह भारतीय राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फैले एक उच्च तकनीक वाले औद्योगिक क्षेत्र के रूप में योजनाबद्ध है। निवेश 1500 किमी लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में किया जाना था जो औद्योगिक कॉरिडोर के परिवहन आधार के रूप में काम करेगा।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान डीएमआईसी के पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 418.64 करोड़, ₹ 85.00 करोड़ और ₹ 43.00 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए। हालांकि, विभाग क्रमशः केवल ₹ 7.54 करोड़, ₹ 17.76 करोड़ और ₹ 24.76 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 411.10 करोड़ (98.2 प्रतिशत), ₹ 67.24 करोड़ (79.1 प्रतिशत) और ₹ 18.11 करोड़ (42.12 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि पटवारी और तहसीलदार आदि के पदों के रिक्त रहने और मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसी बाधाओं के कारण भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान नहीं करने के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

• **जिला उद्योग केंद्रों के लिए भवन निर्माण**

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान जिला उद्योग केंद्रों के लिए भवन निर्माण हेतु ₹0.77 करोड़, ₹1.15 करोड़ और ₹0.62 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए। यद्यपि, विभाग वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान केवल क्रमशः ₹ 0.15 करोड़, ₹ 0.70 करोड़ और ₹ 0.39 करोड़ का उपयोग कर सका और क्रमशः ₹ 0.57 करोड़ (74.02 प्रतिशत), ₹ 0.45 करोड़ (39.13 प्रतिशत) और ₹ 0.23 करोड़ (37.10 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण किया। विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान में कमी करने के कारण कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने से कम व्यय हुआ।

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.6 उपबंध करता है कि बजट जितना संभव हो वास्तविक अनुमान के निकट रखने के उद्देश्य से तैयार करना चाहिए। उपरोक्त प्रेक्षण एवं विभाग के प्रत्युत्तर दर्शाते हैं कि बजट आवंटन सटीक नहीं थे जिसके कारण बड़ी राशि का अभ्यर्पण हुआ।

अनुदान में टोकन प्रावधान

यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 में, इस अनुदान के अन्तर्गत कुल 60 शीर्षों में से 15 शीर्ष ऐसे थे जिनमें टोकन प्रावधान किए गए थे जो कि टोकन प्रावधानों के रूप में बने रहे और वित्तीय वर्ष के अंत में टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किए गए या बजट अंतिमीकरण समिति (बीएफसी) की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य किए गए। राजस्थान वित्त निगम ने बताया कि राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की प्रत्याशा में टोकन प्रावधान किये जाते हैं।

पिछले बजट भाषण में योजना घोषणाओं की स्थिति

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है:

तालिका 3.21: पिछले बजट भाषणों में की गयी प्रमुख घोषणायें

क्र. सं.	वर्ष (बजट घोषणा संख्या)	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	2016-17 (77)	बजट भाषण 2016-17 में, जयपुर के निकट राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई थी ताकि एक डिजाइन इनोवेशन केंद्र स्थापित किया जा सके, जिसके लिए 50 एकड़ भूमि प्रदान की जानी थी।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना के लिए 1,20,062.57 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की है। भूमि का कब्जा और लीज डीड का निष्पादन लंबित है क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से ₹ 30.02 लाख का भुगतान प्रतीक्षित है।
2.	2016-17 (78)	बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की गई थी कि अगले 5 वर्षों में ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रूडा) के माध्यम से 60 हजार शिल्पकारों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पेशेवर सेवाओं को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष में ₹2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि रूडा ने पेशेवर सेवाओं के लिए दो बार निविदाएँ आमंत्रित की लेकिन निविदा प्रक्रिया सफल नहीं रही। विभाग ने यह भी कहा कि पेशेवर सेवाओं को नियुक्त करना नियमों के अनुरूप नहीं होगा जिसके कारण इस घोषणा को छोड़ना उचित होगा।
3.	2016-17 (78)	बजट भाषण 2016-17 में स्वादी को फैशन की मुख्यधारा में लाने और राजस्थान स्वादी बोर्ड के नए शोरूम खोलने के लिए ₹ 2.50 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित किया गया था।	लेखापरीक्षा के मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत नहीं कराया (अक्टूबर 2021)।
4.	2017-18 (87)	बजट भाषण 2017-18 में, कपड़ा और कृषि स्वाद्य-प्रसंस्करण के क्षेत्र में आयात-निर्यात बढ़ाने के लिए, भारत सरकार की भागीदारी से राज्य सरकार द्वारा दो नए केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि वित्तीय बाधाओं के कारण बजट घोषणा को लागू नहीं किया जा सका।
5.	2018-19 (149)	बजट भाषण 2018-19 में ₹ 146 करोड़ की एकीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिये 6 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के आरओ प्लांट के दायरे का विस्तार, भूमिगत पाइपलाइन के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि एकीकृत कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा जारी कर दी गयी है तथा आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	वर्ष (बजट घोषणा संख्या)	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
6.	2018-19 (150)	बजट भाषण 2018-19 में, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र में नई औद्योगिक टाउन शिप के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में ₹ 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए ₹ 82.46 करोड़ खर्च किए गए हैं और रीको लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से शेष राशि के भुगतान के लिए निर्णय लिया गया था जो अभी भी लंबित है।

उपरोक्त तालिका में दिये गए विवरण अनुवर्ती कार्रवाई की धीमी गति और बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति को दर्शाते हैं।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर निधियों के गैर/कम उपयोग न केवल बाद के वर्षों में राजकोषीय भार बढ़ता है बल्कि देरी और लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारक बनता है।

संशोधित अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर

उद्योग विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष "0851-ग्राम एवं लघु उद्योग" तथा "0852-उद्योग" में पावरलूम के पंजीकरण से प्राप्तियां, साज्जी के लिए भूमि का अस्थायी आवंटन, नमक क्षेत्र के आवंटन से आय, पापड़ स्वार की प्राप्ति, पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां, इत्यादि प्राप्तियां शामिल हैं।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को नीचे तालिका 3.22 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.22: वर्ष 2018-21 के दौरान प्राप्ति का विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	(₹ लाख में)	
						आधिक्य (+)/ कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग 800-अन्य प्राप्तियां 01-अन्य विभिन्न प्राप्तियां	2018-19	1,325.00	700.00	491.62	(-) 208.38	29.77
		2019-20	750.00	750.00	141.43	(-) 608.57	81.14
		2020-21	750.00	300.00	355.27	(+) 55.27	18.42
2.	0852-उद्योग 05-रसायन उद्योग 800-अन्य प्राप्तियां नमक एवं सोडियम सल्फेट की बिक्री से 01 एवं 04 प्राप्तियां	2018-19	7.00	7.00	7.57	(+) 0.57	8.14
		2019-20	6.01	3.22	0.90	(-) 2.32	72.05
		2020-21	3.50	4.65	3.12	(-) 1.53	32.90
3.	0852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य प्राप्तियां 04-अन्य प्राप्तियां	2018-19	40.00	400.00	390.17	(-) 9.83	2.46
		2019-20	50.00	169.06	169.63	(+) 0.57	0.34
		2020-21	50.00	90.00	69.17	(-) 20.83	23.14

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों और संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में विचलन 0.34 प्रतिशत और 81.14 प्रतिशत के बीच था जो आंकलन में कमी को दर्शाता है। इस अनुदान की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2018-21 के दौरान बजट दस्तावेज़ में मुख्य शीर्ष- 0851 और मुख्य शीर्ष- 0852 के अन्तर्गत विभिन्न प्राप्ति शीर्ष वास्तविक प्राप्तियों और संशोधित अनुमानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं। इस संबंध में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

3.6 प्रशासनीय कदम

बजट प्रबंधन के पहलू जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति की गई नीचे दिए गए हैं:

- गत चार वर्षों के दौरान किसी भी अनुदान में बजट प्रावधान से अधिक व्यय का कोई उदाहरण नहीं है।
- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों का प्रस्तुतिकरण।
- वर्ष के अंत से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।

3.7 सिफारिशें

- i. नियंत्रण/संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उन विभागों जहां निरन्तर बचत देखी गई है, में बचत से बचने के लिए स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति पर कड़ी और निरन्तर निगरानी रख सकते हैं। वे विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और निगरानी तंत्र को भी आईएफएमएस के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं।
- ii. सभी विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़े पैमाने पर बचत/आधिव्यय, पुनर्विनियोजन और अभ्यर्पण से बचने के लिए व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उनको अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग से भी बचना चाहिए।
- iii. व्यय को वर्ष भर समान रूप से किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से जुड़े गुणवत्ता संबंधी नुकसानों से बचा जा सके।
- iv. बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखों की सटीक तैयारी में सहायता के लिए बजट नियंत्रक अधिकारियों को आवंटन से व्यय के विचलन के स्पष्टीकरण प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।